

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश )

लखनऊ, शुक्रवार, 2 मई, 1986  
बैशाख 12 , 1908 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार  
नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-540 / 11-5-86-23(1)डी0ए0-85  
लखनऊ 2 मई , 1986

## अधिसूचना

प0आ0-257

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम ) अधिनियम 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1974) द्वारा यथापुनः अधिनियम और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम ,1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973) की धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल , इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्राधिकरण का गठन करते हैं जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण कहलायेगा:-

## हरिद्वार विकास प्राधिकरण

- |  |            |
|--|------------|
| 1 सचिव, नगर विकास विभाग , उ0प्र0 शासन  | अध्यक्ष,   |
| 2 कुम्भ मेला अधिकारी , हरिद्वार  | उपाध्यक्ष, |
| 3 राज्य सरकार का सचिव जो वित्त विभाग का प्रभारी हो या प्रतिनिधि जो उप सचिव से कम स्तर का न हो।                         | पदेन सदस्य |
| 4 राज्य सरकार का सचिव जो पर्वतीय विकास विभाग का अधिकारी हो या उनका प्रतिनिधि जो उप सचिव से कम स्तर का न हो ।           | पदेन सदस्य |
| 5 मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक ,उ0प्र0 लखनऊ अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो वरिष्ठ नगर नियोजक से कम स्तर का न हो।   | पदेन सदस्य |
| 6 प्रबन्ध निदेशक, जल निगम ,उ0 प्र0 , लखनऊ अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी जो अधीक्षण अभियन्ता से कम स्तर का न हो । | पदेन सदस्य |

- 7 प्रमुख अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग , उ०प्र० लखनऊ  
अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी जो अधीक्षण अभियन्ता  
से कम स्तर का न हो।
- 8 जिलाधिकारी , सहारनपुर।
- 9 जिलाधिकारी, देहरादून।
- 10 जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 11 जिलाधिकारी, बिजनौर।
- 12 जिलाधिकारी, गढ़वाल।

पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य

आज्ञा से  
अखण्ड प्रताप सिंह  
सचिव

संशोधित गजट  
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश  
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -4, खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-5

संख्या 1080/9-प्रा0-5-97-23(1)डी0ए0-85

लखनऊ, 21 मार्च 1997

अधिसूचना

प0आ0-134

चूंकि राज्य सरकार की राय में हरिद्वार विकास क्षेत्र की सीमा में नोटिफाईड ऐरिया रानीपुर हैवी इलैक्ट्रिकल टाउन शिप को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, अतएव अब उ0प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम, अधिनियम 1974(उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन 1974) द्वारा तथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व शासकीय अधिसूचना संख्या 3692/11-5-86-23(1)/डी ए/85, दिनांक 4 जून, 1986 के आंशिक संशोधन में हरिद्वार विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से  
अखण्ड प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव

2.7 लोक प्राधिकरण / संगठन के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लॉक, आदि पर संगठनात्मक ढांचा जहां लागू हो)

(क) शासन स्तर का संगठनात्मक ढांचा—

1— सचिव, आवास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून (विभागाध्यक्ष)

(ख) शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :-

उत्तराखण्ड शासन,

आवास विभाग,

संख्या—3533 / V / आ0—2006—227(आ0) / 2007

देहरादून: दिनांक 4 जनवरी 2007

अधिसूचना

उत्तराखण्ड ( उ0प्र0 नगर योजना एवं विस अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 की धारा—4 की उपधारा—3 एवं 3(अ) के आधीन शक्ति का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या —959 / न0वि0—आ0 / अभि0—2001—79(आ0) / 2001 दिनांक 20—4—2001 को अतिक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड का निम्नवत गठन करते है:—

1—मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2—प्रमुख, सचिव / सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
3—सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
4—सचिव, तीर्थाठन / पर्यटन उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
5—सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
6—सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
7—उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	पदेन सदस्य
8—जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
9—मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून	पदेन सदस्य
10—प्रशासक, नगर निगम, हरिद्वार	पदेन सदस्य
11—अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
12—अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल	पदेन सदस्य
13—अध्यक्ष, नगर पंचायत रानीपुर, हरिद्वार	पदेन सदस्य
14—उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित तीन गैर सरकारी सदस्य	गैर सरकारी सदस्य

संख्या—3533(1) / V / आ0—2006 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि उप / संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुड़की जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया इस अधिसूचना की केवल हिन्दी में आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड—ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां आ0 / नगर विकास / अभियंत्रण शाखा उत्तराखण्ड शासन मुख्य भवन को तथा 5—5 प्रतियां नीचे अंकित अधिकारियों को सीधे अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

ह0अपठनीय  
(पी0सी0शर्मा)  
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि संख्या-3533(2)/V/आ0-2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1-सम्बन्धित सदस्यगण।

2-आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी कैम्प, देहरादून, उत्तराखण्ड।

3-उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को 20 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समस्त सदस्यों को एक-एक प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4-जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

5-संबंधित सदस्यगण (उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के माध्यम से)

6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

ह0अपठनीय  
(पी0सी0शर्मा)  
प्रमुख सचिव